FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम नागौर

प्रार्थी
मकबूल अहमद पुत्र मोहम्मद अली
जाति–मुसलमान,निवासी–दरखानों
का मौहल्ला,नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण
पूर्णमल पुत्र सत्यनारायण
जाति–माली,निवासी–
राठौड़ी कुआ,नागौर वगैरा
व अन्य

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र बाबत् स्थगन आदेश हेतु** 05 **नम्बर** **सन् 2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.2024	प्रार्थी/अपीलांट ने जरिऐ अभिभाषक यह प्रार्थना–पत्र अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहसीलदार (भू0अ0),नागौर द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व/2023/2144 में दिनांक 26.09.2023 से नामान्तरकरण संख्या 3246 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के विरूद्ध पेश की जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का पेश किया हैं। विद्वान वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी का दौराने बहस कथन हैं कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 201, 202 वाके मौजा नागौर जिसके सेटलमेन्ट उपरांत नवीन ख0नं0 438,439 व 440 बने है। यह आराजी अपीलांट व रेस्पोडेन्टस संख्या 6 से 13 के पूर्वज गुलाम रसूल की खातेदारी की रही हैं। गुलाम रसूल जी का सिजरा खानदान हमने अपील में दर्शाया हैं। इसलिए इस जमीन में प्रार्थी को भी हक प्राप्त हैं। हमारे द्वारा पेश किये गये राजस्व रेकार्ड खातेदारी इन्द्राज में खातेदार के तौर पर गुलाम रसूल बेटो कादर बगस बतौर डोलीदार खातेदार काबिज काश्तकार थे। सेटलमेन्ट अधिकारियो से मिलीभगत करके गैर सायल नम्बर 01 द्वारा राजस्व रेकार्ड में से उनका नाम हटाया गया हैं,जिससे गैर सायल संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। गुलाम रसूल पुत्र कादर बगस अपीलांट के दादा के सगे भाई थे। इसलिए इस जमीन पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 13 को शुरू से अधिकार प्राप्त होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में हैं। इस आराजी पर कास्त व कब्जा प्रार्थी का होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 बेजा लोभ में पड़कर इस जमीन का आगे विक्रय करते हैं या फिर प्रार्थी को बेदखल करते है या राजस्व रेकार्ड व मौके में परिवर्तन करते हैं तो प्रार्थी अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगा इसलिए अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। इसलिए प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 6 से 13 के पक्ष में व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्व अपील के निर्णय तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। (लगातार) 2 कलक्टर नागौर	

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या-05/2024 मकबूल अहमद वि. पूर्णमल व अन्य

02/01/24 (लगातार)	पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड नामान्तरकरण संख्या 3246 में दर्ज प्रविष्टी के अनुसार खसरा नम्बर 437/818,438,439,440 पूर्णमल पुत्र सत्यनारायण जाति–माली सा. राठौड़ी कुआ नागौर के नाम से दर्ज है। तथा नवीन प्रविष्टी के अनुसार खसरा नम्बर 440 रकबा 2.1934 है0 आवासीय प्रयोजनार्थ नगरपरिषद,नागौर के नाम से दर्ज हैं। उपरोक्त राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार कास्तकार होना नहीं पाया जाता हैं,इसलिए वर्तमान स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन होना नहीं पाया जाता हैं। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी खातेदार दर्ज नहीं होने से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को नहीं होगी बल्कि गैर सायलान को बिना सुनवाई के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं तो गैर सायलान संख्या 1 से 5 को अपूरणीय क्षति होने का अंदेशा रहता हैं। अतः प्रकरण में गैरसायल को तलब किया जाकर उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस वास्ते जवाब देही तलब किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 23.01.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर, नागौर
Not Press [illegible] MAKBOOL	23/01/2024 वकील प्रार्थी उप० एवं प्रार्थी स्वयं उपस्थित है। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी इस प्रा०पत्र को not press करते है। अतः प्रा०पत्र प्रार्थी पैरवी नहीं करने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। कलक्टर नागौर